प्रेस नोट संख्या 59

दिनांक- 27.09.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 59/2018 धारा 302 भादवि थाना मुसाफिरखाना के अभियुक्ता बिट्टन पत्नी धर्मपाल यादव निवासी पूरे मेहरवान मजरे तेजगढ़ थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्ता को आज दिनांक 27.09.2024 को धारा 302 भादवि मे सश्रम आजीवन कारावास व 50,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 02.04.2018 समय 20.50 बजे उपरोक्त अभियुक्ता द्वारा वादी की 02 पुत्रियों को मारने की नीयत से बहला फुसलाकर गांव के बाहर ले जाकर कुएं मे ढकेल देना जिससे मृत्यु हो जाने की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 59/2018 धारा 302 भादवि थाना मुसाफिरखाना पर पंजीकृत होकर विवेचक निरीक्षक श्री पारस नाथ सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए- 59 दिनांक 04.05.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।